

6/12/17

पत्रावली पेश हुई। चूंकि मूल वाद अफम द्वारा
अफम से ही नै खारीज हो चुका है। अतः

आवेदन में आगे की आपवाही का कोई फायदा
नहीं रहता है। अतः आवेदन इसी स्तर पर खारीज
जिया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन